भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी वकास और गंगा संरक्षण वभाग

राज्य सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या **2636**

जिसका उत्तर **24** मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जल प्रबंधन

2636. श्री रामजी लाल सुमनः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लए देश की ग्राम पंचायतों को शा मल करने की नीति क्या है; और

(ख) जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में उठाए गए कदमों और वगत पांच वर्षों के दौरान खर्च की गई धनरा श का वर्ष-वार और व्यय-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल राज्य का वषय है और केंद्र सरकार तकनीकी और वत्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है। जल प्रबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथ मकताओं में से एक है। भारत सरकार एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना अटल भूजल योजना को कार्यान्वित कर रही है, जो क सात राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 ब्लॉकों के अंतर्गत 8203 ग्राम पंचायतों के चन्हित जल की कमी वाले क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य समुदायिक नेतृत्व में सतत भूजल प्रबंधन के माध्यम से भूजल स्तर में गरावट को रोकना है।

ग्राम पंचायत-वार जल सुरक्षा योजनाएं इनमें जल बजट और प्रस्ता वत मांग पक्ष कार्यकलाप जैसे सूक्ष्म संचाई, फसल व वधीकरण, भू मगत पाइपलाइनों का उपयोग आदि, और वर्षा जल संचयन संरचनाओं जैसे चेक डैम, फार्म पॉण्ड, रिचार्ज शाफ्ट और अन्य कृत्रिम पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाओं जैसे आपूर्ति पक्ष कार्यकलाप शा मल होते है और चल रही योजनाओं के अ भसरण के माध्यम से तैयार और क्रयान्वित की जाती हैं।

राष्ट्रीय जल नीति**, 2012** में अन्य बातों के साथ-साथ जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से संबं धत निम्न ल खत प्रावधान हैं:

• पैरा **3.6:** समुदाय को संवेदनशील बनाते हुए और उन्हें लंबी दूरी के माध्यम से जल उपलब्ध कराते हुए उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जल का उपयोग करने के लए प्रोत्साहित

कया जाना आवश्यक है। जल प्रबंधन के कार्य को संस्थागत तथा समुदाय आधारित बनाया जाना अपे क्षत है।

• पैरा **4.1:** जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की अस्थिरता बढ़ने की आशंका रहती है, जिससे मानव स्वास्थ्य और आजी वका प्रभा वत होगी। इस लए समुदाय को जलवायु के अनुकूल तकनीकी वकल्पों को अपनाने तथा उनकी क्षमताओं का उन्नयन करते हुए इसके प्रभावों को सूक्ष्म स्तर पर कम करने की दिशा में वशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

• पैरा **4.2**: जलवायु परिवर्तन के कारण जल की उपलब्धता में अस्थिरता में प्रत्या शत वृद् ध को व भन्न रूपों में करते हुए, जैसे क मट्टी की नमी, तालाब, भूजल, छोटे और बड़े जलाशय और उनके संयोजन से जल भण्डारण करते हुए, इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। राज्यों को जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लए प्रोत्साहित कया जाना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं और जल निकायों का पुनरुद्धार शा मल कया जाना चाहिए।

• पैरा **4.3:** अनुकूलन रणनीतियों में बेहतर मांग प्रबंधन भी शा मल है, वशेष रूप से, संगत कृ ष रणनीतियों और फसल पैटर्न और बेहतर जल अनुप्रयोग व धयों, जैसे भू म समतलीकरण और/या ड्रप/स्प्रिंकलर संचाई को अपनाने के माध्यम से, क्यों क वे जल उपयोग दक्षता को बढ़ाते हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ी हुई परिवर्तनशीलता से निपटने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। इसी तरह, औद्यो गक प्र क्रयाओं को अ धक जल कुशल बनाया जाना चाहिए।

• पैरा **4.4:** भू म मृदा जल प्रबंधन में व भन्न कृ ष पद् धतियों, मृदा भू कटाव में कमी और भू उर्वरता में सुधार जैसी स्थानीय अनुसंधान तथा शैक्ष णक संस्थानों से मलने वाले वैज्ञानिकी इनपुटों का इस्तेमाल करते हुए हितधारकों की प्रतिभा गता में बढ़ोत्तरी करना। पहाड़ी क्षेत्रों की व शष्ट समस्याओं जैसे अचानक अपवाह, मृदा की कमज़ोर जल धारण क्षमता, कटाव और सेडीमेंट ट्रांसपोर्ट और पहाड़ी ढलानों के जलभृतों के पुनर्भरण की समस्या का पर्याप्त रूप से समाधान कया जाना अपे क्षत है।

• पैरा **4.5:** संभा वत जलवायु परिवर्तनों से निपटने के लए जल संसाधन संरचनाओं, जैसे क बांध, बाढ़ तटबंध, ज्वारीय तटबंध आदि संबंधी योजना और प्रबंधन में अनुकूल रणनीतियों को शा मल करना। संभा वत जलवायु परिवर्तनों को देखते हुए नई जल संसाधन परियोजनाओं के संबंध में स्वीकार्यता मानदंडों पर फर से काम करने की आवश्यकता है।

• पैरा **10.2:** स्थानीय, शोध और वैज्ञानिक संस्थानों से मलने वाले वैज्ञानिक इनपुट के साथ भू म, मृदा, ऊर्जा और जल प्रबंधन का व भन्न कृ ष रणनीतियों को वक सत करने और सूखे का प्रबंधन करने के लए मृदा और जल उत्पादकता में सुधार करने के लए उपयोग कया जाना चाहिए। आजी वका सहायता और गरीबी उन्मूलन के लए एक एकीकृत कृ ष प्रणाली और गैर-कृ ष वकास पर भी वचार कया जा सकता है।

• पैरा **15.5:** जल क्षेत्र में एक दक्ष जन शक्ति की अपेक्षा को पूरा करने के लए जल प्रबंधन में नियमत प्रशक्षण और शैक्षणक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन प्रशक्षण और शैक्षणक संस्थानों के बुनियादी ढांचे का वकास करके और अनुप्रयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देकर नियमत रूप से अद्यतन कया जाना चाहिए, जिससे संबंधत वभागों और समुदाय द्वारा वश्लेषण और सुवज्ञ निर्णय लेने संबंधी प्रचलत प्रक्रयाओं को बेहतर बनाने में मदद मलेगी। जल साक्षरता के लए जल क्षेत्र में वभन्न हितधारकों की क्षमता का प्रोन्नयन करते हुए एक राष्ट्रीय अभयान शुरू करने की आवश्यकता है।

(ख): जल संसाधन वभाग (डीओडब्ल्यूआर), जल शक्ति मंत्रालय, अपनी सभी पहलों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और उसके प्रभावों से जुड़े उपशमन कार्यों को एकीकृत करता है, जिससे जल सुरक्षा और जलवायु प्रभावों के प्रति सहनशीलता सुनिश्चित होती है। अटल भूजल योजना जैसे कार्यक्रम सतत भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं, जबक नमामी गंगे और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना नदी के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर केंद्रित हैं। जल जीवन मशन और स्वच्छ भारत मशन जलवायु-सहिष्णु जल आपूर्ति और स्वच्छता को बढ़ाते हैं, जबक पीएमकेएसवाई और सीएडीडब्ल्यूएम संचाई दक्षता और कृषि सहनशीलता में सुधार करते हैं।

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम आपदा से जुड़ी समस्याओं का निपटान करता है, और जल शक्ति अभयान – कैच द रेन और जल संचय एवं जन भागीदारी जैसे अभयान वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करते हैं। भूजल प्रबंधन और वनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) की योजना के तहत राष्ट्रीय जलभृत मानचत्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) का उद्देश्य एक सामुदायिक भागीदारी के साथ जलभृत/क्षेत्र वशष्ट भूजल प्रबंधन योजनाएं बनाने के लए जलभृत की स्थिति और उनके लक्षण वर्णन को चत्रित करना है। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और नीतिगत ढांचे के माध्यम से, जल संसाधन वभाग भारत की जलवायु प्रतिबद्धता को संरेखत करते हुए जल स्थिरता को मजबूत बनाता है।

जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन वभाग (डीओडब्ल्यूआर) का बजट ववरण अनुलग्नक **I** में दर्शाया गया है और वभाग की कुछ प्रमुख योजनाओं का ववरण अनुलग्नक **II** में दर्शाया गया है।

कृषि एवं कसान कल्याण वभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधक फसल (पीडीएमसी) की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। पीडीएमसी ड्रप और स्प्रिंकलर संचाई जैसी सूक्ष्म संचाई प्रणालयों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक, पीडीएमसी को प्रधानमंत्री कृषि संचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में लागू कया गया था। वर्ष 2022-23 से, पीडीएमसी को राष्ट्रीय कृषि वकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत लागू कया जा रहा है। देश में पीडीएमसी की योजना के लए नधि जारी करने की स्थिति और उपलब्धियों का ववरण अनुलग्नक **III** में दर्शाया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जल प्रबंधन" के संबंध में दिनांक 24.03.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारां कत प्रश्न संख्या 2636 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लि खत अनुलग्नक।

वर्ष	बीई (करोड़ रुपए में)	आरई (करोड़ रुपए में)	व्यय (करोड़ रुपए में)
2021-22	9022.56	18008.70	17215.16
2022-23	18967.88	14000.00	11962.07
2023-24	20054.67	19516.92	19081.62
2024-25 (अब तक)	21323.10	21640.88	13854.09
कुल	**69368.21**	**73166.5**	**62112.94**

*****

अनुलग्नक **II**

“जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जल प्रबंधन” के संबंध में दिनांक 24.03.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारां कत प्रश्न संख्या 2636 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लि खत अनुलग्नक।

जल संसाधन, नदी वकास एवं गंगा संरक्षण वभाग की प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा (करोड़ रुपए में)														
क्र. सं.		**2021-22**			**2022-23**			**2023-24**			**2024-25**		दिनांक**10.02.2025** तक व्यय	बीई वर्ष **2025-26**
1	योजनाएं	बीई	आरई	वास्त वक	बीई	आरई	वास्त वक	बीई	आरई	वास्त वक	बीई	आरई	वास्त वक	
2	बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम	25	25	23	100	25	23.79	50	54.05	53.63	46.98	42.28	31.56	50.3
3	राष्ट्रीय गंगा योजना	600	1400	1394.03	2800	2500	2047.98	4000	2400	2396.1	3345.7	3000	2800.5	3400
4	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	850.01	500	498.67		-	0			0				
5	नदी बे सन प्रबंधन	199	177.3	168.31	97	101.64	78.14	110	94	63.59	154.79	143	114.61	243
6	अटल भूजल योजना	330	330	327.48	700	700	1155.43	1000	1778	1738.21	1778	600	76.86	1780.4
7	जल संसाधन सूचना प्रणाली का वकास	175	160	155.23	185	140	157.71	162.13	171	168.67	115	170	128.05	63.39
8	भूजल प्रबंधन एवं वनियमन	275	170	168.99	375	315	177.18	330	280	202.31	325	240	117.93	509
9	राष्ट्रीय जल	200	412	388.74	800	512.51	481	500	426	321.26	661.2	492.8	220.78	13

जल संसाधन, नदी वकास एवं गंगा संरक्षण वभाग की प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा (करोड़ रुपए में)														
क्र. सं.		**2021-22**			**2022-23**			**2023-24**			**2024-25**		दिनांक**10.02.2025** तक व्यय	बीई वर्ष **2025-26**
	वज्ञान परियोजना													
10	राष्ट्रीय जल मशन का अनुसंधान एवं वकास तथा कार्यान्वयन	29.5	40.5	30.79	52.88	35	36.45	50	50	42.67	67.06	45	30.96	70
11	एआईबीपी और सीएडीडब्लूएम	0	3700	2198.45	4281.69	1940	767.68	3522.23	1736.69	1508.24	3900	2140	730.56	3350
12	पीएमकेएसवाई (हर खेत को पानी सहित)	4500.5	4608.56	5000.04	5369.97	4424.5	4193.85	4175	4374.41	4579.36	4349.8	4480.85	3757.56	4909.85
13	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - ओबी	100	232.68	203.16	250.68	300	442.64	300	432	411.56	592.11	591.12	282.72	558.09
14	नदियों को जोड़ना	0	4300	4634.46	1400	1100	624.34	3500	1400	1390.73	4000	2000	1371.83	2400
	कुल	**7284.0**	**16056.0**	**15191.4**	**16412.2**	**12093.7**	**10186.2**	**17699.4**	**13196.2**	**12876.3**	**19335.6**	**13945.1**	**9663.9**	**17347.0**

*****

अनुलग्नक **III**

"जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जल प्रबंधन" के संबंध में दिनांक 24.03.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारां कत प्रश्न संख्या 2636 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लि खत अनुलग्नक।

वर्ष	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	सूक्ष्म संचाई के अंतर्गत कवर कया गया क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
2019-20	2700.02	11.73
2020-21	2562.19	9.37
2021-22	1796.12	10.15
2022-23	1901.37	11.02
2023-24	2103.50	11.40
2024-25 (अब तक)	2235.02	7.08
कुल	**13298.22**	**60.75**

*****